प्रथम स्मार

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 286 राँची, दिनांक :– 24.3.2022

सेवा में,

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल
गढ़वा।

विषयः– गढ़वा जिला अंर्तगत' **Improvement of Curves and Sagety Traffic Calming Measures at Annraj Ghati.** के निर्माण हेतु कुल 0.1404 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव सं0 FP/Jh/Road/123042/2021 के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्रांक 142 दिनांक 17.02.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण किया जाये। पत्र द्वारा **आपके कार्यालय पत्रांक 111 दिनांक 09.02.2022** द्वारा प्रस्ताव सं0 FP/Jh/Road/123042/2021 Improvement of Curves and Safety Traffic Calming Measures at Annraj Ghati. In Garhwa District, State of Jharkhand **के निर्माण हेतु** कुल 0.1404 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव ऑनलाईन तथा हार्डकॉपी की पांच प्रतियां प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के जाँच के क्रम में परियोजना प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों में कतिपय कमियां/त्रुटियां पाई गई। अतः प्रासंगिक पत्र द्वारा निम्न बिन्दुओं पर पृच्छा की गई हैः–

1. चूकि category of the project Road है। अतः FRA प्रमाण पत्र form I (for linear projects) में होनी चाहिऐ परन्तु प्रमाण पत्र form II (for other than linear project) में समर्पित की गई है।
2. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का DGPS, map संलग्न है। परन्तु GEO Refrence Digital Plan in Shape File (CD) संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण/वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा उतरी वन प्रमंडल द्वारा क्रमशः निर्धारित प्रपत्र Form –A Part-I एवं Part-II में प्रविष्टि दर्ज करते हुय Website पर अपलोड नहीं किया गया है।

उपरोक्त कमियों/त्रुटियों का निराकरण प्रतिवेदन सम्प्रति अभी तक अप्राप्त है।

इसी क्रम में यह भी सूचित करना है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा उतरी के पत्रांक 496 दिनांक 3.03.2022 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन आपको भेजते हुये प्रतिलिपि इस कार्यालय को दी गई है, जिस पर आपका मंतव्य सहित अग्रसारण पत्र अपेक्षित है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा उतरी द्वारा प्राप्त प्रतिलिपि की पूर्ण समीक्षा की गई, जिसमे पुनः निम्नलिखित कमियां पाई गई है।

1. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढवा उतरी द्वारा सूचित किया गया है कि FRA प्रमाण पत्र form I (for linear projects) में अभी प्राप्त नहीं है। स्टेज–I प्राप्ति के बाद समर्पित की जायेगी। इस संबंध में कहना है कि सभंव हो सके तो FRA प्रमाण पत्र form I में संबंधित DC से प्राप्त कर ली जाय।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढवा उतरी द्वारा सूचित किया गया है कि Form–A के Part-I में कंडिका C (iv) में Geo-referenced Map संलग्न है। चूँकि Map online upload है, इसलिए CD मे अलग से समर्पित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस संबंध में कहना है कि Form –A के Part-I में कंडिका C (iv) में Geo-referenced Map PDF में अपलोड है। अतः अंक्षाश एवं देशान्तर स्पष्ट नही हो पा रहा है। इसलिए GEO Refrence Digital Plan in Shape File (CD) आवश्यक है।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढवा उतरी द्वारा सूचित किया गया है कि Form –A के Part-II में सभी आवश्यक सूचनाओं को प्रविष्ट कर Website पर already अपलोड है।

इस संबंध में कहना है कि Form –A के Part-II Website पर पुनः Check किया गया, जिसमें पाया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Form –A Part-I में अभियुक्ति दर्ज कर Website पर अपलोड किया गया है। परन्तु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढवा उतरी द्वारा Part-II में अभियुक्ति दर्ज कर Website पर अभी भी अपलोड नही किया गया है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 746 दिनांक 28.06.2021 एवं पत्रांक 830 दिनांक 19.07.2021 का (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन किया जा सकता है। जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि पार्ट–II में वन प्रमंडल पदाधिकारी, आवश्यक प्रविष्टि दर्ज करते हुये नाम, पदनाम, मुहर सहित हस्ताक्षर कर Website पर अपलोड किया जाय।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त उद्धृत बिन्दुओं के निराकरण प्रतिवेदन पांच प्रतियों में शीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु० प्रमोदन

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 286 दिनांक : 24.3.2022

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

24.3.22